

242

242

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक-प.5(3)नविदे/3/99 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

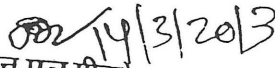
15 MAR 2013

संशोधित परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.02.2013 द्वारा बाह्य विकास शुल्क के संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि फार्म हाउस के प्रकरण जो दिनांक 28.06.2010 के पूर्व निष्पादित किये जा चुके हैं, में अधिक जमा राशि नहीं लौटायी जाएगी। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पश्चात् के प्रकरणों में बाह्य विकास शुल्क की गणना उपरोक्तानुसार की जावे।

उक्त परिपत्र में सहवन में दिनांक 28.06.2010 अंकित हो गया था जिसे अब दिनांक 28.06.2011 पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एन.एल.मीना)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
6. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय/शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, नगर सुधार न्याय..... (समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय